न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नम्बर–६, फतेहपुर।

सत्र परीक्षण संख्या–१२८/१८

<u>आदेश</u>

०१.११.२०१९

साक्षी आशू सोनी की ओर से जमानतीय वारण्ट निरस्त किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र २१अ प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि बीमार हो जाने के कारण वह न्यायालय उपस्थित नहीं हो सका, जिस कारण उसके विरूद्ध बी०डब्लू० जारी हो गया है। उसने जानबूझकर कोई लापरवाही नहीं की है। साक्षी द्वारा बी०डब्लू० निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है।

सुना। साक्षी आज न्यायालय में उपस्थित है, उसकी साक्ष्य पूर्ण नहीं हो पायी है। अतः साक्षी का प्रार्थना पत्र २१अ स्वीकार करते हुए उसके विरूद्ध जारी बी०डब्लू० इस शर्त के साथ निरस्त किया जाता है कि वह नियत दिनांक को जिरह हेतु उपस्थित रहेगा। सम्बन्धित थाने को सूचना दी जाये।

(रविकरण सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नम्बर–६, फतेहपुर।